



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277001
CG-DL-E-09102026-277001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5340]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5340]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5552(अ).— (1) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 14ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे केंद्रीय रेशम बोर्ड (न्यायनिर्णयन और जांच करने की रीति तथा शास्ति अधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन हेतु सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

(2) यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 25017/03/2026-रेशम]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5552(E).— (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14B of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), read with rule 9 of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026, the Central Government hereby appoints the Member Secretary, Central Silk Board, as the appellate authority for the purpose of hearing appeals against the orders passed by the adjudicating officer under the said Act.

(2) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 25017/03/2026-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.